

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./2020/6426

कांकेर, दिनांक/13/10/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

कांकेर वनमण्डल

विषय:-

Diversion of Forest land for Non-Forest Under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill Upgradation Area 4.309 ha. Reg.

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक-FP/CG/Other/27773/2017

संदर्भ:-

1. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/ एफ 5-22/2019/10-2 दिनांक 24.07.2020

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/115-720/1799 दिनांक 12.10.2020



विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र (अ.क्र.1) के छ.ग.शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के द्वारा प्रकरण में 02 बिन्दुओं अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। जिसे संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु (अ.क्र.1 एवं 2) की छायाप्रति संलग्न है।

अतः विषयांकित प्रकरण में चाही गई 02 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक/13/10/2020

पृ.क्रमांक/मा.चि./2020/6427

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में चाही गई 02 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी वनमंडलाधिकारी कांकेर को उपलब्ध करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/ 115-720/ 1799

रायपुर, दिनांक 12/10/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय: - **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha. reg.**

पंजीयन क्रमांक - **FP/CG/Road/27773/ 2017**

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-22/ 2019/ 10-2 दिनांक 24.07.2020
= 0 =

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- संदर्भ पत्र की छाया प्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720/ 1800

रायपुर, दिनांक 12/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

संलग्न:- संदर्भ पत्र की छाया प्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/एफ 5-22/2019/10-2
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/07/2020

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19

नवा रायपुर, अटल नगर, ।

विषय:- **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980
Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309
ha.**

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/
115-720/1247 दिनांक 27.06.2020 ।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/- विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिन्दुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही
है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-45 में लेख अनुसार, विषयांकित गैर वानिकी कार्य के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ), कक्ष क्रमांक 1474 को प्रस्तावित किया गया है । भारत सरकार के दिशा-निर्देश पुस्तिका के अध्याय-2 के पैरा 4.1 अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है ।

अतः कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के बाहर के भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित करें।

2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश पुस्तिका के चैप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 (e) अनुसार राज्य सरकार को सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति का अधिकार निम्न शर्त के अधीन दिया गया है :-

Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.

वन भूमि का उपयोग केवल आवश्यक वन भूमि पर ही होना चाहिए (क्रमशः)

प्रकरण में चूंकि आवेदक संस्थान को पूर्व में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से 0.99 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training संबंधी गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति प्रदाय किया गया है। उपरोक्त अनुमति के पश्चात् प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र दिनांक 27.06.2020 के बिन्दु क्रमांक-4 में लेख अनुसार शासकीय Polytechnic भवन एवं पहुंच मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। विषयांकित प्रकरण में पूर्व में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित 0.99 हे. वन भूमि के साथ-साथ Polytechnic College से जुड़े अन्य रिहायशी निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि चाही गई है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 (e) (न्यूनतम वन भूमि उपयोगिता) के अंतर्गत पर तथ्यात्मक टीप प्रेषित करें।

3/- आदेशानुसार निवेदन है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपना तथ्यात्मक टीप/दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Rajput

(कै.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग